भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2417** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 फ़रवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद

†2417. डॉ. सी. एम. रमेश :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंच पर चुने जाने के लाभों का ब्यौरा क्या है और भारत के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में इस पद से कितनी सहायता मिलने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी, हां। भारत को 28 नवंबर, 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) सभा के 34वें सत्र में हुए निर्वाचनों के दौरान 169 मतों में से 154 मतों (श्रेणी में सर्वाधिक) के साथ श्रेणी बी में 2026-27 दो वर्षों हेतु परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया है। श्रेणी बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़े हित वाले देशों का प्रतिनिधित्व करती है।

(ख): भारत आईएमओ परिषद का श्रेणी बी के तहत आरंभ से ही एक लंबे समय तक सदस्य रहा है। आईएमओ समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियम विकसित करता है, सोलास (एसओएलएएस) और मार्पोल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और कन्वेंशने तैयार करता है, कन्वेंशनों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी करता है तथा विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईएमओ परिषद का सदस्य होने से यह सुनिश्चित होता है कि जब आईएमओ में सुरक्षा, स्थिरता और अन्य प्रासंगिक मुद्दों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर चर्चा की जाती है तो भारत का रुख स्पष्ट रूप से सुना जाता है। आईएमओ में भारत का निरंतर नेतृत्व और रचनात्मक जुड़ाव सीधे तौर पर एक प्रमुख वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने की उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे पोत परिवहन, पत्तन, पोत निर्माण, समुद्री सेवाओं और नाविकों सभी को समान रूप से लाभ होता है।

(ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24.09.2025 को हुई अपनी बैठक में भारत में पोत निर्माण को बढ़ावा देने हेतु पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) और भारत में पोत निर्माण के लिए समर्थता एवं क्षमता विकास तथा क्रेडिट जोखिम कवरेज हेतु पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) नामक दो योजनाओं को मंजूरी दी।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस), जिसका कॉपर्स ₹24,736 करोड़ है, में प्रति जलयान 15-25% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और पोतभंजन क्रेडिट नोट शुरू किए गए हैं जिससे पोत स्वामियों को भारत में पुनर्चक्रण और नए निर्माण में मदद के लिए जलयान के उचित स्क्रैप मूल्य का 40% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य कार्यान्वयन और समन्वय की निगरानी के लिए राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन की स्थापित करना, अगले दशक में ₹96,000 करोड़ मूल्य के पोत निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना भी है।

पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस), जिसका कॉपर्स ₹19,989 करोड़ है, को नई अवसंरचना के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत की पोत निर्माण क्षमता में तेजी लाने, मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरणों और जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। एसबीडीएस के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

- ग्रीनफील्ड क्लस्टरों के लिए पूंजीगत सहायता: ब्रेकवाटर, चैनल और बेसिन विकास, भूमि सुधार, आंतरिक संपर्कता और क्षेत्रीय क्षमता विकास केंद्रों जैसी सामान्य समुद्री अवसंरचना से सुसज्जित कई पोत निर्माण क्लस्टर बनाने के लिए ₹9,930 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए पूंजीगत सहायता: मौजूदा शिपयार्डों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता के लिए ₹8,261 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- पोत निर्माण जोखिम कवरेज: प्री-शिपमेंट बीमा, पोस्ट-शिपमेंट बीमा और वेंडर डिफॉल्ट बीमा जैसे बीमा लिखतों के माध्यम से जोखिम कवरेज के लिए ₹1,443 करोड़ का प्रस्ताव है। इस उपाय का उद्देश्य शिपयार्डों को वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करना और दीर्घकालिक निवेश में विश्वास बढ़ाना है।

*****